न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिहं, R.A.S.

प्रकरण : प्रार्थना पत्र

प्रा0पत्रः–28 / 2024

1. हजारी पुत्र छितर जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. सोनी पत्नी भूरालाल जाति जाट निवासी मांगलवाडा तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राज0।
2. सहायक अभियंता, सिचाई विभाग उपखण्ड दूदू जिला दूदू राज0।
3. तहसीलदार महोदय, तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राज0।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्रः– अर्न्तगत धारा 128 आर.एल.आर. एक्ट पत्थरगढी करने बाबत्।

उपस्थित : 1. श्री कन्हैयालाल माली, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. विपक्षी सं 1 की और से श्री राजेन्द्र सिहं मण्डावरी अधिवक्ता उपस्थित।

: : <u>आदेश</u> : :

दिनांक :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां मौजा गांव मांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद मे निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है खाता सं. 422 की आराजी न0 1937 रकबा 3.1000 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 3.1000 है0 में प्रार्थी खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के लगवा विपक्षी सं 1 की कृषि भूमियां स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है विपक्षी सं. 1 की आराजीयात खाता सं0 418 के आराजी ख0न0 1936 रकबा 1.0030 है0 स्थित है। प्रार्थी के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये विवाद होते रहते हैं। तहसीलदार मौजमाबाद के आदेश कमांक एल आर / भू0अ0 / 2024 / 2351 दिनांक 19.06.2023 की पालना में उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान किया जा चुका है, बावजूद इसके पडौसी खातेदार काश्तकार उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं विपक्षीगण अपनी सीमाओं से अधिक बढकर प्रार्थी की आराजी की सीमाओं में घुसकर मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र पेश कर पत्थरगढ़ी की दाद मांगी गई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी 01 की और से श्री राजेन्द्र सिहं मण्डावरी अधिवक्ता उपस्थित हुये। विपक्षी संख्या 02 की बाद तामिल सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष की बहस को सुना गौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात के सम्बन्ध मे विपक्षीगण मेर सिव को आये दिन विवाद करते रहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व गांव मांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 422 की आराजी ख0न0 1937 रकबा 3.1000 है0 में प्रार्थी खातेदार दर्ज है एवं राजस्व गांव मांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 418 की आराजी ख0न0 1936 रकबा 10.030 है0 विपक्षी संख्या 01 दर्ज खातेदार है। प्रार्थी आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमियों की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी के द्वारा पूर्व में भी इस मेर सिव के विवाद के कारण सीमाज्ञान करवाया गया है , उक्त सीमाज्ञान के बावजूद प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 की आराजी के मध्य सीमा को लेकर विवाद के कारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी का प्रा0पत्र पेश किया।

अतः भविष्य में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 के मध्य कानून पेचीदगीया न बढें व पक्षकारो की आराजीयात की सीमाओ का सही निर्धारण हो इस बाबत प्रार्थीगण अपनी आराजीयात मे पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी साबित होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं आदेश सुनाया जाता है:–

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व गांव मांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 422 की आराजी ख0न0 1937 रकबा 3.1000 है0 में प्रार्थी खातेदार दर्ज है एवं राजस्व गांव मांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 418 की आराजी ख0न0 1936 रकबा 10.030 है0 में विपक्षी संख्या 01 की आराजीयात के मध्य पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में जरिये पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार पत्थरगढी करावें। यदि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो पत्थरगढ़ी नहीं करा पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमिश्नर फीस प्रार्थीयागण से नियमानुसार प्राप्त करें। तहसीलदार मौजमाबाद को तहरीर जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 2-1/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद, जिला जयपुर